अध्याय प्रथम

अध्याय - प्रथम

प्रस्तावना

शिक्षा की उन्नति तथा उसमें गुणात्मकता के विकास के लिये शिक्षको की शिक्षा को उन्नत करना अति आवश्यक हैं। संपूर्ण राष्ट्र को उत्तम शिक्षा का लाभ देने की दृष्टि से शिक्षक शिक्षा या शिक्षण प्रशिक्षण में जो व्यय होता है वह बहुत कम है। उत्तम प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षक अपने ढंग से कैसी ही दिशा देकर अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर देता है। वर्तमान संसार बहुत गति से विकसित हो रहा है।

अतः इस गतिशील विकास के संसार में परम्परागत पुरानी घिसी-पिटी शिक्षण विधियों का शिक्षण राष्ट्र को आगे नहीं बढा सकेगा, इससे राष्ट्र की प्रगति मंद होगी तथा शिक्षा पर किया गया व्यय सार्थक न होगा। वास्तव में जैसा की शिक्षा आयोग 1964, जिसमें कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा है, कि वर्तमान स्थिति को शिक्षण में आवश्यक क्रांति लाकर ही प्रभावी व्यावसायी शिक्षा में सुधार लाया जा सकता हैं।

भारत में शिक्षक का स्थान तो बहुत उच्च रहा है। हमारे धार्मिक नेता तथा समाज सुधारक, समाज के शिक्षक तथा मार्गदर्शक रहे है। आज भी अनेक शिक्षको को बहुत आदर से देखा जाता है। परन्तु शिक्षा के गतिपूर्ण प्रसार तथा अन्य अनेक स्थितियो के कारण शिक्षकों की स्थिति सामान्यतः गिरी ही है। शिक्षको की सेवा-शर्तो में पर्याप्त सुधार न होना, शिक्षको की कार्य स्थितियां संतोषप्रद न होना, शिक्षको का अलगाव में कार्य करना, शिक्षा अभूतपूर्व प्रसार शिक्षक-प्रशिक्षण का स्तर गिरना, शिक्षको का ठीक ढंग से कार्यरत् न होना, समाज के मूल्यो में परिवर्तन आदि अनेक कारण है जिनसे शिक्षको की स्थिति में ह्रास आया है। शिक्षको की स्थिति का शिक्षा की गुणवत्ता से सीधा संबंध है। शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी अनेक दोषो के सुधार के लिये शिक्षको की स्थिति सुधारना उचित होगा।

यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बनाने वालो ने समाज में वांछित परिवर्तन लाने हेतु शिक्षक समुदाय पर ही पूर्ण भरोसा करते हुये नयी शिक्षा नीति में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उसकी गुणवत्ता में मौलिक सुधार की व्यवस्था की है। यहाँ यह कहना अतिशोक्ति न होगा कि शिक्षक-प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आधारशिला है। नई शिक्षा नीति में शिक्षको एवं उनके प्रशिक्षण के स्तर के उन्नयन, शिक्षको को उनके दायित्वो छात्रों, अभिभावको एवं समाज के प्रति दायित्वां का बोध कराने हेतु नि.लि. महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं :-

- शिक्षको की चयन-प्रणाली में आवश्यक सुधार।
- शिक्षको के रहन-सहन एवं कार्य/सेवा की दशाओं में सुधार।

- शिक्षको की समस्याओं के निवारणार्थ एक प्रभावी समिति का गठन।
- शिक्षको एवं उनके व्यवसाय के स्तर को उठाने, उसमें व्याप्त दोषों को दूर करने में संघों की भागीदारी।

इसी को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्गठन की दिशा में पहला कदम शिक्षण-प्रशिक्षण को पूर्णरूपेण पुनर्गठित करना है। प्राथमिक शिक्षको के प्रशिक्षण को विशेष महत्व प्रदान करते हुये कुछ चुने हुये प्रशिक्षण विद्यालयो को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा जो सेवापूर्ण, सेवारत- प्रशिक्षण और औपचारिकेतर एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में लगे लोगो की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। माध्यमिक शिक्षको के प्रशिक्षण को भी पुनर्गठित किये जाने की व्यवस्था भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इस कार्य हेतु राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिये अधिकाधिक एवं आवश्यक संसाधन दिये जायेगें।

1.1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा डाइट गाइड लाइन प्रस्तुत की गई कि जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में होने वाले कार्यक्रमों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई। इसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निर्देशिका के अनुसार विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यक्रमों का संचालन होता है। (1964-66) में शिक्षा आयोग ने शिक्षको के विषय में यह पाया कि भारतीय शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिये अध्यापको की क्वालिटी में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

डाइट गाइड लाइन में शिक्षक-प्रशिक्षण की पूरी गतिविधियो को विस्तार से बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो नई शिक्षा नीति के नाम से बहुचर्चित थी, ने समाज में नवचेतना का संचार करने हेतु एक क्रांतिकारी कदम है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुये यह एक सुव्यवस्थित दूरदर्शी प्रयास है।

वर्तमान समय में शिक्षक-प्रशिक्षण का जो नया स्वरूप प्रचलित है, वह पुरानी परम्पराओं, मान्यताओं एवं नीति निर्धारक तत्वो पर आधारित था, कोई भी नई दिशा उसे प्राप्त नहीं थी, और उसका स्वरूप विकृत होता जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक-प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि शिक्षकों का सेवापूर्ण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण इतना सघन हो, कि वे युगीन आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओ की सक्रिय रूप से पूर्ति कर सके। इस नीति में शिक्षक-प्रशिक्षण प्रक्रिया में प्रसार पर बल दिया गया है। यद्यपि शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता

है।

(1) शिक्षक–प्रशिक्षण का पूर्णदायित्व सरकार का हो। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में एक शिक्षक – प्रशिक्षण निदेशालय हो, जो अपने क्षेत्र में शिक्षक–प्रशिक्षण के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करे।

(2) विभिन्न स्तर के अध्यापको के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की प्रत्येक जिले में स्थापना की जाये। इसमें तीन प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

1. कनिष्क शिक्षक प्रशिक्षण।
2. ज्येष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण।
3. सेवारत शिक्षको का सतत् प्रशिक्षण।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्राथमिक शिक्षको का प्रशिक्षण व सेवारत् शिक्षको का प्रशिक्षण चलता है।

(3) प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्राचार्य होता है, जो अपने शैक्षिक संस्थान में डाइट गाइड लाइन के अनुसार ही कार्यक्रमों का संचालन करवाता है।

(4) प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का अपना भवन होता है। प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कक्ष एवं उपकरण होते है। समस्त स्टाफ के लिये आवासीय व्यवस्था रहती है। पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाये रहती है।

(5) पुराने बी.टी.सी. संस्थाओं को बंद करके प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई तथा बी.टी.सी. संस्थानों में कार्य करने वाले स्टॉफ को नये निर्मित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्ति दे दी गई।

(6) प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के समीप शिक्षण अभ्यास कार्य संपादन हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अपने मॉडल स्कूल अवश्य हो, जो डाइट के प्राचार्य के सीधे नियंत्रण में होता है।

(7) डाइट गाइड लाइन से एक सफल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की दिशा मिलती है। जिससे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल हो पा रहा है।

1.2 राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.टी.ई.) 2005

कोठारी आयोग की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रम अधिकतर रूढ़िवादी कठोर तथा स्कूल की वास्तविकताओ से अलग है। सारे देश में शिक्षक-शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा उसमें तालमेल पैदा करने के लिये सुझाव दिया गया, कि शिक्षक-शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय परिषद् बनायी जाये। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अगस्त, 1995 में हुई थी।

राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद् अधिनियम में देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के नियोजित एवं समन्वित विकास नियमन तथा अध्यापक शिक्षा के मानको एवं मानदंडों को बनाये रखने का लक्ष्य हासिल करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षक-प्रशिक्षण परिषद् को केन्द्र सरकार से पूर्णरूपेण सहायता मिलती है।

1.2.1 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद् की आवश्यकता

1. **न्यूनतम सुविधाओ की प्राप्ति** - भारत की अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओ में दृश्यश्रृव्य सामग्री आधुनिक सामान प्रयोगशालाओ भवनो पुस्तकालयो इत्यादि में भौतिक सुविधाओ का अभाव है। बहुत सी संस्थाएँ निजी प्रबंध के अधीन है और वे धनाभाव के कारण न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं प्राप्त कर पाती है।

2. **प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या** - प्रशिक्षित शिक्षको की अधिकता तथा कमी भी एक समस्या रही है। कई राज्यो में प्रशिक्षित शिक्षक बेकार है और कई राज्यों को तो शिक्षण-प्रशिक्षण स्कूल/कालेज बंद करने पड़े है।

3. **शिक्षा का विस्तार** - भारत अब न्यूनतम सुविधाओ की प्राप्ति- भारत की अधिकतर शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं में दृश्यश्रृव्य सामग्री, आधुनिक सामान, प्रयोगशालाओ, भवनो प्रारंभिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर विस्तार तथा माध्यमिक शिक्षा में कुछ मौलिक परिवर्तन लाने का आयोजन कर रहा है। विद्यालयी शिक्षा कि बुनियादी मानकर तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में शिक्षक के योगदान के महत्व को सामने रखते हुए यह अनुभव किया गया है, कि कोई अखिल भारतीय शिक्षा संस्था स्थापित की जाये, जो सरकार को शिक्षक-शिक्षा की योजनाओं के बारे में उचित सलाह दे सके।

4. **शिक्षको की शिक्षा-** राज्यो में प्रशिक्षित शिक्षको के प्रतिशत में अंतर है, और यह अंतर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के समय तथा स्तर के अंतर है कई शिक्षक मिडिल पास है, और कई हायर सेकण्डरी के बाद 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त है।

1.2.2 राष्ट्रीय शिक्षक-शिक्षा परिषद् के कार्य

इस संस्था का गठन निम्नलिखित कार्यों हेतु किया गया है-

1. अध्यापक शिक्षा के सभी मामलो, जिनमें सेवा-पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण भी सम्मिलित हो, सरकार को सलाह देती है।
2. सरकार को अध्यापक शिक्षा में उचित स्तर प्राप्त करने के लिये सलाह देना।
3. राज्य सरकारो की ओर से पूछी गयी किसी बात पर सलाह देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं का निरीक्षण करना।
5. अन्य कार्य जो सरकार परिषद् को सौपें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपालन में लगभग 400 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, इन संस्थानों को प्रारंभिक पाठशालाओं के शिक्षको के लिये सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) विगत दो दशकों से भी अधिक समय में अस्तित्व में हैं, तथा उसने शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में कुछ कदम उठाये है। अन्य गतिविधियों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा 1978 में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या प्रारूप तैयार करने तथा 1988 में उसे संशोधित करने के प्रयासो को शिक्षक शिक्षा में मील के पत्थर माना जाता है।

फलतः देश में विभिन्न विश्वविद्यालयो/मंडलो के शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्याओ ने शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में परिवर्तन देखे। फिर भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) को कोई सांविधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, उक्त प्रयासो के अनुवर्धन में कोई अधिक कार्य न हो पाया। अब, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) एक सांविधिक संस्था बन चुकी है तथा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक तथा सामाजिक मांगों को पूरा करने में अक्षम है, पाठ्यचर्या प्रारूप पर पुनः अवलोकन एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकता का स्थान ग्रहण कर चुका है।

1.3 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005

यद्यपि 1960 के दशक से ही शिक्षको की पेशेवर तैयारी को अत्यावश्यक माना जाता रहा है, लेकिन इसका जमीनी यथार्थ शोचनीय है कोठारी आयोग (1964-66) ने इस पर जोर दिया है कि शिक्षक की शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक -शिक्षण संस्थाएँ अभी

तक संकीर्णता से बाहर नहीं निकल पाई है।

1.3.1 शिक्षक-शिक्षाः वर्तमान सरोकार

वर्तमान शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षको को एक ऐसी व्यवस्था में समायोजित करने के लिये प्रशिक्षण देता है। जिसमें शिक्षण के बारे में यह समझा जाता है कि उसमे केवल सूचनाओं का प्रसार होता है। पाठ्यचर्या सुधारो के प्रयासों को शिक्षक-प्रशिक्षण का पर्याप्त समर्थन नहीं रहा है। बड़े पैमाने पर पैरा-शिक्षकों की बहाली से शिक्षको की पेशेवर पहचान प्रभावित हुई है। नब्बे के दशक की मुख्य कोशिशो का ध्यान शिक्षको को सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण देने पर केन्द्रित था। इसमें सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के बीच चौड़ी खाई की है। पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षक उच्च शिक्षा केन्द्रो से अलग-अलग ही रहते है और उनका पेशेवर विकास नहीं हो पाता।

सेवापूर्व शिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षको का पर्याप्त अभिमुखीकरण हो, और ऐसी क्षमता का विकास हो कि वे पाठ्यचर्या रूपरेखा की चुनौतियों को समझने तथा उनका सामना कर सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण विशेष रूप से शिक्षकों के कक्षानुभव के संदर्भ में होने चाहिये। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें इन प्रशिक्षणो की जिम्मेदारी दी गई है, को कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करने चाहिये कि शिक्षको और स्कूल को उससे लाभ हो। प्रत्येक स्कूल से प्रशिक्षण के लिये कम से कम दो शिक्षको को बुलाया जाये। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसथान, ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के सहयोग से ऐसे स्कूलो का चुनाव कर सकता है। शिक्षण समय प्रभावित न हो, और प्रशिक्षु सिद्धांत और व्यवहार के बीच के संबंध को समझ सके। प्रशिक्षण के लिये आवश्यक अवधि को साल भर में बांटा जा सकता है ताकि शिक्षक का शैक्षिक कार्यानुभव भी इसमे शामिल हो सके।

1.4 अध्ययन की आवश्यकता

प्राचीनकाल की अपेक्षा आज शिक्षा एवं शिक्षण की व्यापकता दूरदर्शन, रेडियो, अखबार तथा पोस्टर जैसे व्यापक, सामुदायिक संपर्क साधनों के चलने और व्यापक शिक्षण प्रचार-प्रसार के कारण भी अधिक प्रभावशाली विकास माध्यम बने है। यही कारण है कि 21वीं सदी में हमारे देश के लिये शिक्षण राष्ट्रोन्नति तथा विकास का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं, परन्तु आमूलचूल परिवर्तन तथा विकास के सुनिश्चित् परिणाम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने का माध्यम भी है। प्रगतिशील देशों ने भौतिक विद्या में प्रशिक्षण का अभिगम अपनाकर यह प्रत्यक्ष दृष्टान्त प्रस्तुत किया है कि शिक्षण के माध्यम से ही आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है।

पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षणचर्या तथा शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण की चेतना है। इनको समाज के हर तबके तक प्रवाहित करने की एकमात्र क्षमता प्रशिक्षित शिक्षक में है। प्रशिक्षण की प्रबलता का अहसास हमें यही होता है। किसी भी स्तर पर किसी भी शिक्षक के लिये प्रशिक्षण आज अनिवार्य पहल है। अतएव प्रत्येक के प्रत्यक्ष कार्य व्यापार में निर्विधन प्रवेश के लिये प्रशिक्षण अत्यावश्यक है।

1.5 समस्या कथन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन।

1.6 अध्ययन के उद्देश्य

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवापूर्व प्रशिक्षार्थियो के लिये कौन–कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे है, इसका अध्ययन करना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवाकालीन शिक्षको के लिये कौन–कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे है, इसका अध्ययन करना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निर्देशिका (डाइट गाइड लाइन) के आधार पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रमों की स्थिति का अध्ययन करना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के कार्यक्रमों से समानता लिये हुये है इस स्थिति का अध्ययन करना।
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की निर्देशिका (डाइट गाइड लाइन) 1989 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.2005) के कार्यक्रमों के अनुसार क्या सम्मिलित रूप से इनके कार्यक्रमों का संचालन डाइट के संस्थानों में हो रहा है या नहीं इसका अध्ययन करना।

1.7 शोध की परिसीमाएँ

इस शोध में निम्न परिसीमाओं के आधार पर शोध कार्य को सम्पन्न किया गया है।

1. शोध कार्य में भोपाल, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी (केवलारी) स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया है।
2. इस शोध कार्य में भोपाल, सीहोर, जबलपुर, बालाघाट सिवनी (केवलारी) स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सेवापूर्ण व सेवाकालीन कार्यक्रमों को शामिल किया है।
3. इस शोध कार्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निर्देशिका (डाइट गाइड लाइन)1989 व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) 2005 के कार्यक्रमों को भी शामिल किया जायेगा।
4. शोधकर्ता ने प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, प्रशिक्षक व प्रशिक्षणार्थियो को अपने शोध मे शामिल किया है।